बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक : बु0वि0 / प0नि0कार्या0 / 2022 / 2572 दिनांक : 01 / 02 / 2022

कार्यालय ज्ञाप

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार केवल विश्वविद्यालय परिसर में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थानों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की सत्र 2021–22 की आगामी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत ऑनलाइन मोड पर माह फरवरी, 2022 में सम्पन्न कराई जाएगी –

1. व्यापार प्रशासन संस्थान, 2. बैकिंग अर्थशास्त्र एव वित्त संस्थान, 3.पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन संस्थान,
4. आई0ई0टी0 संस्थान, 5. फार्मेसी संस्थान।

उक्त परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्र सम्बन्धित संस्थान के निदेशक / समन्वयक के पर्यवेक्षण में रचित किए जाएगें, किसी प्रकार की त्रुटि व गोपनीयता भंग होने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित निदेशक / समन्वयक का होगा। प्रश्नपत्र रचनादि निम्न दिशा–निर्देशों के आलोक में सम्पन्न कराई जाएगी –

1. उक्त परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नाधारित(MCQ Based) होगी। प्रत्येक प्रश्नपत्र 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा।
2. प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।
3. प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प होंगे। प्रश्न हेतु "All of these" or "None of these" प्रकार के विकल्प सम्मिलित नहीं किए जाएगें।
4. प्रत्येक प्रश्नपत्र की अवधि 90 मिनट्स (01 घण्टा 30 मिनट) होगी।
5. संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के प्रश्नपत्रों में अधिकतम अंक / पूर्णांक में विभिन्नता होने के कारण ऑनलाइन परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों को सम्बन्धित प्रश्नपत्र के पूर्णांक के अनुसार अनुपातिक रूप में परिवर्तित करते हुए वास्तविक अंक प्रदान किए जाएगें।
6. उक्त परीक्षाओं से सम्बन्धित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धित संस्थान के निदेशक / समन्वयक द्वारा तैयार किए जाएगें।
7. सम्बन्धित समन्वयक अपने संस्थान के छात्रों को उक्त परीक्षा के मोड(Mode) व पैटर्न(Pattern) से अपने स्तर से अवगत कराएगें तथा परीक्षा से पहले सम्बन्धित छात्रों को कम से कम दो माक टेस्ट(Mock Tests) का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे।
8. प्रश्नपत्रों की रचना माननीय कुलपति जी / परीक्षा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्राश्निकों से ही कराई जाएगी, जिसकी एक प्रति परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में उपलब्ध करायी जाएगी।
9. उक्त परीक्षा से सम्बन्धित सभी ऑनलाइन / ऑफलाइन अभिलेखों को सुरक्षित रखने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान के निदेशक / समन्वयक का होगा तथा आवश्यकतानुसार मांगें जाने पर उपलब्ध कराना होगा, जिससे कि जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 व समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जा सकेगा।
10. परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले छात्रों का विवरण भी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को सम्बन्धित निदेशक / समन्वयक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

सम्बन्धित समस्त संस्थानों के निदेशकों / समन्वयकों से मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त ऑनलाइन परीक्षाओं हेतु किसी प्रकार के तकनीकी सहयोग हेतु ई0 ब्रजेन्द्र शुक्ला, नोडल अधिकारी (ऑनलाइन परीक्षा) से सम्पर्क कर शुचितापूर्ण व पारदर्शी वातावरण में उक्त परीक्षाएँ उक्तानुसार सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

(राजबहादुर)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक / विभगाध्यक्ष / समन्वयक समस्त सम्बन्धित संस्थान / विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अपने संस्थान / विभाग में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं को सूचित करने का कष्ट करें।
2. प्रो0 वी0के0 सिंह, अध्यक्ष, अनुचित साधन प्रयोग समिति।
3. समस्त सहायक कुलसचिव।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर सेन्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी / कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक।
7. प्रभारी, अतिगोपनीय।

परीक्षा नियंत्रक